



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 29

4 भाद्र 1942 (श०)

पटना, बुधवार, —

26 अगस्त 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	5-5
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
		पूरक-क	6-6

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

19 अगस्त 2020

सं० 01/स्था०-राज०-206/2019/ग०उ०वि०-865—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 60वी० से 62वी० संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ईख सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री राहुल कुमार, पिता—श्री मणिभुषण प्रसाद, वार्ड संख्या-10, ग्राम+पो०-फुलवरियाँ, थाना-ढाका, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार-845204/संयुक्त मेधा क्रमांक-284, अनुक्रमांक-254459/आरक्षण कोटि-05 (पिछड़ा वर्ग) को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मेट्रिक्स लेवल-9 (मो० 53,100-1,67,800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से बिहार ईख सेवा अंतर्गत ईख पदाधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से परीक्ष्यमान ईख पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करते हुए इन्हें प्रशिक्षण हेतु अगले आदेश तक ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री राहुल कुमार, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी क्षेत्रीय प्रशिक्षण के दौरान दो सप्ताह का कोषागार प्रशिक्षण कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ के अधीन प्राप्त करेंगे।

3. श्री राहुल कुमार, ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित रहते हुए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

4. श्री राहुल कुमार, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी क्षेत्रीय/जिला स्तरीय प्रशिक्षण श्री वेदव्रत कुमार, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर के सह-विशेष ईख पदाधिकारी, पटना के अधीन प्राप्त करेंगे।

5. श्री राहुल कुमार, ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित रहते हुए ही एस०आर०आई०, पूसा में छः माह का प्रशिक्षण और बिहार लोक प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना में तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

6. श्री राहुल कुमार द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इनकी सेवा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

7. श्री राहुल कुमार, पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 02 वर्षों की होगी।

8. श्री राहुल कुमार सामान्य प्रशासन विभाग (पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

9. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर श्री राहुल कुमार पिता—श्री मणिभुषण प्रसाद वार्ड सं०-10 ग्राम+पो०-फुलवरिया, गृह जिला-पूर्वी चम्पारण निश्चित रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

10. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री एवं प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० जवाहर लाल सिन्हा, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त 2020

सं० 6/वे०नि०-08-04/2019-1452/वा०कर—श्री प्रेम कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा (56वी० से 59वीं बैच) को उनके आवेदन के आलोक में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से त्याग-पत्र स्वीकार करते हुए केन्द्र-सरकार के अधीन दूर संचार विभाग में योगदान हेतु बिहार वित्त सेवा से विधिवत विरमित किया जाता है।

2. विरमन के पश्चात् बिहार वित्त सेवा में भविष्य में इनका कोई दावा विचारणीय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त 2020

सं० भा०व०से० (मि०)—35/2008 (खण्ड)—2307/प०व०—श्री मोख्तारूल हक, बि०व०से०, परामर्शी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग, बिहार, पटना में उप सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध अतिरिक्त प्रभार में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

परिवहन विभाग

पत्रांक 05/स्था०—10/2016—5561

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:—

वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 27 जुलाई 2020

विषय:— बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 के गठन के फलस्वरूप नियमावली में वर्णित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39(उन्चालीस) पदों एवं तत्संबंधी प्रोन्नति के 13(तेरह) पदों सहित कुल 52 (बावन) अतिरिक्त पदों का रू०—4,10,91,696/— (चार करोड़ दस लाख एकानवे हजार छः सौ छियानवे रू०) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

परिवहन विभाग के अंतर्गत राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से गाड़ियों के निबंधन एवं ओवरलोडिंग पर रोकथाम एक महत्वपूर्ण कार्य है। मोटरयान अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989; बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992; बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 में विहित कर्तव्यों को पूर्ण करने हेतु विभाग के विभिन्न स्तर पर भी परिवर्तन एवं संशोधन कर परिवहन विभाग हेतु मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विभागीय अधिसूचना सं०—941, दिनांक—29.01.2020 द्वारा बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 का गठन किया गया है। इस नियमावली में वर्णित पदनाम के अनुसार अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39 पदों एवं तत्संबंधी प्रोन्नति के 13 पदों सहित कुल 52 अतिरिक्त पदों का रू०—4,10,91,696/— (चार करोड़ दस लाख एकानवे हजार छः सौ छियानवे रू०) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 में वर्णित उक्त पद निम्नवत् हैं:—

क्र० सं०	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी	लेवल—7	27
2	सहायक क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी	लेवल—7	09
3	सहायक राज्य परिवहन पदाधिकारी	लेवल—7	02
4	सहायक परिवहन आयुक्त	लेवल—7	01
5	जिला परिवहन पदाधिकारी	लेवल—9	01
6	उप राज्य परिवहन पदाधिकारी	लेवल—9	03
7	उप परिवहन आयुक्त	लेवल—9	02
8	संयुक्त परिवहन आयुक्त	लेवल—11	02
9	संयुक्त राज्य परिवहन पदाधिकारी	लेवल—11	03
10	अपर परिवहन आयुक्त	लेवल—12	01
11	अपर राज्य परिवहन पदाधिकारी	लेवल—12	01
	कुल		52

3. उपर्युक्त पदों के सृजन पर होने वाले व्यय माँग संख्या-47 के मुख्य शीर्ष 2041-वाहन कर-00-101- संग्रहण प्रभार 0002-मोटर वाहन पर नियंत्रण (विपत्र कोड-47-2041001010002), मुख्य शीर्ष 2041-वाहन कर-00-001-निदेशन और प्रशासन- 0001-राज्य परिवहन अधिकरण (विपत्र कोड-47-2041000010001) एवं मुख्य शीर्ष 2041-वाहन कर-00-101-संग्रहण प्रभार-0001- प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (विपत्र कोड-47- 2041001010001) में उपबंधित राशि से की जाएगी।

4. इसमें प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-04.02.2020 की बैठक (मद संख्या-22) एवं मंत्रिपरिषद की दिनांक 25.07.2020 की बैठक (मद संख्या-2) में स्वीकृति प्राप्त है।
अनु0-व्यय विवरणी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1000—I, KAVERI Bharti w/o Deepak Shankar R/o 59 PS+PO Patliputra Colony, Patna-13 vide Affidavit No. 1574 dated 01.07.2020 shall be known as Kaveri Shankar.

KAVERI Bharti.

सं० 1006—मैं आजाद पुत्र श्री बंशीधर सिंह गांव+पोस्ट—महुआंव, थाना—बिहिया, आरा, भोजपुर, वर्तमान में जय महावीर कॉलोनी, संदलपुर रोड नं० 5, पो०—महेन्द्र, थाना—बहादुरपुर पटना का निवासी हूँ। अब हरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ आजाद हो गया है। शपथ पत्र सं० 353, दिनांक 22.06.2020 है।

आजाद।

No. 1006—I AZAD S/o Shri Banshidhar Singh, R/o Village +PO-Mahuaon PS-Bihia Dist. Ara (Bhojpur), Present R/o at Jai Mahavir Colony, Sandalpur, Rd. No. 5, PO-Mahendru, PS-Bahadurpur, Patna have changed my name to Harendra Kumar Singh alias Azad vide affidavit no. 353 dated 22.6.2020.

AZAD.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१—०५/२०१९—४०४६
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

22 जून 2020

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 20.02.2019 को मंडल कारा, आरा में कैदियों द्वारा खाना बनाने एवं मोबाईल से बात करने संबंधी वीडियो वायरल होने तथा इसके पूर्व में भी विभिन्न तिथियों को जिला प्रशासन की औचक छापेमारी में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में श्री निरंजन कुमार पंडित, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। श्री पंडित का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री निरंजन कुमार पंडित, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुरंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री पंडित से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 17-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>